

क्रमांक 273/2014/मोपाल
खासियत / खालिद आदि

न्यायालय कलेक्टर जिला मोपाल (म0प्र0)

दिनांक 05/12/2014

मोपाल दिनांक 05/12/2014

मोपाल न्यायालय
म0प्र0 न्यायालय

विषय: पुर्णपेजिलोकन करने की अनुमति बाबत ।

अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर ने तहसीलदार, हुजूर के प्रतिवेदन सहित आवेदक श्री खालिद मोहम्मद क स्वामित्व की ग्राम फतेहपुर तहसील हुजूर, मोपाल स्थित भूमि का राजस्व अभिलेख सुधार किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

2- नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर ने दिनांक 7-12-2011 प्रतिवेदन निम्नानुसार राजस्व अभिलेख सुधार किया जाना प्रस्तावित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी(रा.) हुजूर ने सहमत होते हुवे प्रेषित किया :-

क्र	नाम भूमिस्वामी	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	खालिद मोहम्मद आ।0	44	1.83
	अकबर मोहम्मद निवासी फतेहपुर	45/2	0.15
		किता 2	1.98
2	मोहम्मद फारुख आ।0	45/1	1.15
	मोहम्मद अशफाक निवासी-ग्राम भूमिस्वामी		

3 आवेदक एवं प्रभावित पक्षकार द्वारा समक्ष में प्रस्तावित सुधार से सहमत होने पर आवेदक ने के उपरान्त तत्कालिन कलेक्टर से म0प्र0म-2014/2014 क्रमांक 1959 से शस 197 व लखन नगर दिनांक 15/12/2012 द्वारा प्रस्ताव अनुसूचित राजस्व नवशा संशोधित किया जाना अनुमोदित किया गया ।

4 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) हुजूर ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन सहित दिनांक 17-1-2014 को पत्र प्रतिवेदन दिया कि तहसीलदार के उक्त प्रस्ताव को याद में रखते हुए प्रस्ताव प्रेषित की जाय करवाई गई जो अधीश्वर के द्वारा न्यायालय में प्रेषित किया गया प्रस्ताव प्रस्तुत पत्रों के प्रकाश में प्रस्ताव सलमन किया गया कि अधीश्वर को प्रवेदन के प्रतिवेदन का अवलोकन नहीं होने का

12

25.7.2014

विद्यार्थी का नाम
पता

आवेदक शासन की ओर से
 वृत्त उपांग कोड अपाक्षित नहीं
 आवेदक के आवेदन कर्कर
 डाटा आदेश दिनांक 15.12.2012 के
 चाली गई पुनर्विलोकन की अनुमति
 दिये जाने में सहमत है। कर्कर
 डाटा पूर्व आदेश दिनांक 15.12.2012
 में विधिवत गुटे होने से उनके
 खेती के पुनर्विलोकन की
 अनुमति चाली गई है, जो
 इस शर्त के साथ प्रदान की
 जाती है कि उभय पक्ष को
 पुनर्वाह को समुचित अवसर
 देका प्रकण को विधि अनुसार
 निराकरण करें।

आदेश

25/7/14
 25/7/14

25/7/14
 NF
 25/7/14

25/7/14